(7)

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

04-06-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–869/2010 में आवेदक **श्री सुबोध कुमार**, पिता–स्व0 रामवृक्ष महतो, सा0–मकान सं0–16, सरदार पटेल पथ, उत्तरी श्रीकृष्णापुरी, थाना–श्रीकृष्णापुरी, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–04.06.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे पेट्रोल पम्प तथा मकान Construction के व्यवसाय से जुड़े हैं। उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक–870/गो0, दिनांक–07.08.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, श्रीकृष्णापुरी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक का उक्त आवेदन पत्र अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, श्रीकृष्णापुरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक पेट्रोल पम्प तथा मकान Construction के व्यवसाय से जुड़े हैं। ये अपने काम से यदा–कदा कभी भी कहीं घर या पम्प से बाहर आना–जाना करते हैं, जिस कारण अपने आप को असुरक्षित एवं भय महसुस करते हैं। इस कारण उन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता प्रतित होता है। उपरोक्त व्यवसाय के अलावे आवेदक एयरटेल टेलीकॉम कम्पनी के साथ साथ पीने का पानी बनाने के कार्य से भी जुड़े हैं, जिस कारण अधिक पैसों के साथ कहीं भी आना–जाना पड़ता है, जिससे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के पिता के अनुज्ञप्ति पर एक रिवाल्वर धारित था, जिसे मरणोपरान्त विधिवत शस्त्र दुकान में जमा करा दिया गया, जिसे लेने हेतु श्री कुमार द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर नहीं प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 की कंडिका–II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :–

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका–II की उप कंडिका–b तथा e निम्नवत है :–

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/ 2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री सुबोध कुमार, पिता–स्व0 रामवृक्ष महतो, सा0–मकान सं0–16, सरदार पटेल पथ, उत्तरी श्रीकृष्णापुरी, थाना–श्रीकृष्णापुरी, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन– पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।